अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने , निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना विनियम, 2008 के विनियम 19 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत् : :—

"19. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।"।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 19-03-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि 800(अ) दिनांक 19-11-2008, सा.का.नि 295 (अ) दिनांक 30-04-2009, सा.का.नि 478(अ) दिनांक 07-06-2010, सा.का.नि 605(अ) दिनांक 19-07-2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी रेग्युलेशंस/रिव्यु-2011/2012-III दिनांक 21-06-2013, एवं फा.सं. पीएनजी आरबी/ सीजीडी/बिड/4/2013-प्रिबिड दिनांक 07-04-2014, के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 19 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

"19. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 196(E) dated 19-03-2008 and amended *vide* G.S.R. 800(E) dated 19-11-2008, G.S.R. 295(E) dated 30-04-2009, G.S.R. 478(E) dated 07-06-2010, G.S.R. 605(E) dated 19-07-2010, F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21-06-2013 and F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PREBID dated 07-04-2014.